**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3854**

**दिनांक 25 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**पीएमबीजेपी संबंधी अध्ययन**

**3854. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:**
**श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:**
**श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:**
**श्री तेजस्वी सूर्या:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में ब्लॉक या जिला स्तरीय कवरेज सहित राज्य-वार विश्लेषण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बीपीपीआई), जिसमें वर्तमान में भेषज क्षेत्र में केवल दो विशेषज्ञ हैं, में प्रख्यात चिकित्सा प्रशासकों या विशेषज्ञ उद्योग प्रतिनिधियों को नामित करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का बीपीपीआई को प्रशासनिक व्यय, वेतन आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करने का विचार है क्योंकि अभी तक उसके पास वित्तीय आत्मनिर्भरता नहीं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)**

(क) और (ख): जनवरी, 2019 में 'जन औषधि (जेए) स्टोरों की प्रभावशीलता में सुधार' के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया था। विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने भी योजना की समीक्षा की और मार्च, 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्टों/सिफारिशों के आधार पर योजना के कार्यान्वयन पर आगे की कार्रवाई की गई।

**(**ग) और (घ)**:** गवर्निंग काउंसिल और एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) में पहले से ही औषध पीएसयू के सीएमडी/एमडी उद्योग प्रतिनिधियों के रूप में हैं। हाल ही में**,** राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)**,** राष्ट्रीय

औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर), केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) औऱ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के प्रतिनिधियों के साथ योजना के अंतर्गत उत्पाद समूह के संवर्धन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ङ) और (च): सरकार, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) को प्रोत्साहन प्रदान करने, रियायती दरों पर बेचे जाने वाले उत्पादों की खरीद, मीडिया और प्रचार तथा पीएमबीआई के अंतर्गत स्थापित फार्मा ब्यूरो के स्थापना व्यय के लिए पीएमबीआई को अनुदान जारी करती है।

*****